

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

17/10/18

विषय:-जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के डडूआ से सिरोला होते हुये मयाली पाटाखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु।(1.1375ha) (FP/UK/ROAD/21943/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 30.10.2017

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30.10.2017 के सम्बन्ध में वन संरक्षण, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार आख्या सहित प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In villages wise breakup given at para B-2.3 part I online the total of the area against all the villages falling in forest land doesn't come to 1.1375ha.	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा B-2.3 में प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित हो रहे सभी गांवों का गांववार विवरण मय क्षेत्रफल में अंकित कर दिया गया है।
2	The authority letter favour of Shri Bhagwati prashad Nautiyal, EE to file application may be uploaded at A-3 (xvii) part I online.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा A-3(xvii) में authority letter सही कर अपलोड कर दिया गया है।
3	In the FRA certificate provided in hard copy no date is mentioned as the date of the provided in the hard copy as well as uploaded online at K in part I, Further five villages are mentioned having forest land in the village wise breakup at para 2.3 part I online whereas, village level committee meeting proceeding under FRA have been submitted for village Dauda only.	बिन्दु संख्या-03 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग - 01 के पैरा k में जिलाधिकारी स्तरीय, उप जिलाधिकारी स्तरीय एवं गांव स्तरीय समित की बैठक के तिथिवार कर अपलोड कर दिया गया है।
4	Detailsof employment likely to be generated during construction of this project given at para E part I online appears incorrect, may be reviewed.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Employment generation की सूचना पैरा E में अंकित की गयी है।।
5	Hard copy submitted is containing photocopies of the documents and not the original not the original ones, Hard copy of the proposal containing original or attested photocopies of all the documents may be submitted. Imporant documents like, FRA certificate, digital maps, CAScheme, land schedule etc, are required to be provided in original.	प्रस्ताव की मूल प्रति डाक द्वारा प्रेषित की गयी है।
6	CA area is not marked in the SOI toposheet map uploaded at para-13 of para-II online.	उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट II के पैरा 13 में कर दिया गया है।

भवदीय,
(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक